



RIGHT TO
INFORMATION

CELL



RIICO LTD.
RTI CELL
Room No.-09, Basement
Udyog Bhawan,
Tilak Marg, Jaipur-302005
E-Mail : rti@riico.co.in
Tel No. 0141- 5103735/2227751

रजि. एडी

क्रमांक : आरटीआई / जी-5 / 12-13 / 2211
दिनांक : 03 दिसम्बर, 2014

व० उप महाप्रबन्धक / व० क्षेत्रीय प्रबन्धक /
क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लि०,

..... 4

विषय:- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से प्राप्त परिपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ से प्राप्त परिपत्र क्रमांक: प.2(10) प्रसु/सूअप्र/2012 जयपुर दिनांक 07.11.2014 जो इस कार्यालय में उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 21.11.2014 के साथ प्राप्त हुये हैं। उक्त परिपत्र आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार पहाडिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
(मुख्यालय) / व० उप महाप्रबन्धक

संलग्न: उपरोक्तानुसार

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.26 (1) उद्योग/1/2013

जयपुर, दिनांक: 21 NOV 2014

- 302
1-11-14
1. आयुक्त, उद्योग, जयपुर।
 2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
 3. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड, जयपुर।
 4. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, जयपुर।
 5. आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर।

विषय :- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से प्राप्त परिपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ से प्राप्त परिपत्र क्रमांक : प.2(10)प्रसु/सूअप्र/2012 जयपुर दिनांक 07.11.2014 की प्रति आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जितेन्द्र चौहान)
वरिष्ठ शासन उप सचिव



R+1-P08
25-11-14

21/11/2014
Circulate to all
SR

OFFICE OF ADV. (A&M)
RIICO LTD., JPR.

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, कमरा नम्बर 7309, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष: 2227496 ई-मेल: dsl.industries.rajasthan@gmail.com

वेबसाइट-rajind.rajasthan.gov.in

24 NOV 2014

No. 1991

14.11.14

सूचना का अधिकार
राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार

क्रमांक-प. 2(10)प्रसु/सूअप्र/2012

जयपुर, दिनांक 07-11-2014

परिपत्र

आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.2010 व 25.04.2014 की ओर आकर्षित किया जाना समुचित है।

राज्य सरकार के प्रसंज्ञान में लाया गया है कि अपील/परिवाद में अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार राज्य सूचना आयोग द्वारा जो आर्थिक शास्ति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की जाती है उस राशि को कुछ विभाग/बोर्ड/निगम/स्व:शासी संस्था द्वारा जमा करवाई जा रही है।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि आपके विभाग अथवा आपके नियंत्रणाधीन विभागों/बोर्ड/निगम/स्व:शासी संस्थाओं में आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा करवाई जावे। साथ ही अनुरोध है कि जब शास्ति की राशि आयोग में भेजी जावे तब इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जावे कि जमा करवाई जा रही राशि राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल की गई है न कि राजकोष से जमा करवाई जा रही है।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।


(राकेश वर्मा)

अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर
5. समस्त जिला कलक्टर
5. रक्षित पत्रावली


(विकास एस.भाले)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.26 (1) उद्योग/1/2013

जयपुर, दिनांक: 21 NOV 2014

1. आयुक्त, उद्योग, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, रीको लिमिटेड, जयपुर।
4. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर।

विषय :- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से प्राप्त परिपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ से प्राप्त परिपत्र क्रमांक : प.2(10)प्रसु/सूअप्र/2012 जयपुर दिनांक 07.11.2014 की प्रति आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जितेन्द्र चौहान)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

OFFICE OF M.D.
RIICO LTD., JPR

21 NOV 2014

MDR

OFFICE OF ADV. (ADM)
RIICO LTD., JPR

24 NOV 2014

No. 1992

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, कमरा नम्बर 7309, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष: 2227496 ई-मेल: ds1.industries.rajasthan@gmail.com
वेबसाइट-rajind.rajasthan.gov.in

24-11-14
25-11-14

76585

14.11.14

कार्यालय सचिव (सूचना)

शासन सचिवालय, जयपुर

579239

14.11.14

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

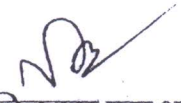
आपसे—अनुरोध है/ कि आपके विभाग व आपके नियंत्रणाधीन विभाग/बोर्ड/निगम/स्व:शासी संस्थाओं में पदाभिहित प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में अपील का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करें। प्रथम अपील स्तर पर पारित निर्णयों की पालना की गई है अथवा नहीं इसकी मोनेटरिंग भी करने की कृपया व्यवस्था करावें। क्योंकि कतिपय राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णयों की पालना नहीं करने पर राज्य सूचना आयोग में परिवाद / द्वितीय अपील दायर होती हैं जिससे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की संभावना बनी रहती है।



(राजेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर
5. समस्त जिला कलक्टर
5. रक्षित पत्रावली



(विकास एस.भाले)
विशिष्ट शासन सचिव